न्यायालय उपायुक्त, खूँटी

-14 फार्म सं0 562

आदेश पत्रक

अभिलेख हस्तक 1941 नियम -129

विविध रिविजन वाद सं0 ....4R15.... वर्ष ....2010.... धारा ....

A.C.R. 27R15/15

अपीलकर्ता/प्र0प0/आवेदक — शिव प्रसाद साहु व अन्य

प्रतिवादी/द्वि0प0/विपक्षी — दुना सिंह एवं अन्य

आदेश क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
08.09.10	यह आवेदन शिव प्रसाद साहु पे० स्व० राम नाथ साहु साकिन-अम्मा थाना- तोरपा जिला खूँटी एवं हरि शंकर भगत पे० स्व० लच्छु भगत साकिन-पलना थाना- रनियां जिला-खूँटी द्वारा भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता खूँटी के न्यायालय के वाद विविध अपील वाद सं०(भू)-02/09-10 में दिनांक-14.08.2010 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है Pl. f hearing on the point of admission on 17/09/10 [signature] 8/9/10	
17.09.10	आवेदक द्वारा उपस्थिति दी गयी है। उपायुक्त अन्य कार्य में व्यस्त हैं। दिनांक-28.09.10 को रखें। उप समाहर्त्ता	

आदेश क्रमांक /तिथि Order No./ Date	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की कार्यवाई तिथि Action taken on order with date
1	2	3
24-05-17	आवेदक द्वारा उपस्थिति दी गयी है विपक्षी अनुपस्थित है। निम्न न्यायालय का अभिलेख संलग्न है। दिनांक 07-06-17 को पेश। (हस्ताक्षर) अपर कलेक्टर	
07-06-17	आवेदक अनुपस्थित है। विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गयी है निम्न न्यायालय का अभिलेख संलग्न है। दिनांक 28-06-17 को पेश। (हस्ताक्षर) अपर कलेक्टर	
28-06-17	आवेदक द्वारा उपस्थिति दी गयी है विपक्षी अनुपस्थित है निम्न न्यायालय का अभिलेख संलग्न है। बाद में विपक्षी द्वारा उपस्थिति दी गयी है। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना / आदेश पृ. (हस्ताक्षर) 28/06/17	

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खूँटी

विविधि रिविजन वाद संख्या – 4R15/2010

शिव प्रसाद साहु एवं अन्य – आवेदक
–बनाम् –
राज्य सरकार एवं टुना सिंह – विपक्षी

आदेश

आदेश क्रमांक /तिथि Order No./Date	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर Order and /signature of Officer	आदेश की गई कार्रवाई तिथि सहित Action takebn on Order with date
28/06/17	प्रस्तुत वाद आवेदक शिव प्रसाद साहु पिता–स्व० राम नाथ साहु साकिन– अम्मा, थाना– तोरपा, जिला–खूँटी एवं हरि शंकर भगत पे0 स्व0 लच्छु भगत साकिन पकना थाना– रनियाँ जिला– खूँटी द्वारा भूमि सुधार उप– समाहर्त्ता खूँटी के न्यायालय के वाद विविध अपील वाद संख्या– 02/09–10 में दिनांक –14.08.2010 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। तत्कालीन उपायुक्त खूँटी द्वारा दिनांक 12.10.10 को आदेशित है कि वाद सुनवाई योग्य है दिनांक 09.11.2010 को सुनवाई के लिए रखें । तत्पश्चात निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग की गयी तथा विपक्षी को सूचना निर्गत किया गया। विपक्षी द्वारा उपस्थिति दी गयी एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख उपलब्ध कराया गया जो अभिलेख में संलग्न है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तार पूर्वक बहस किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कहा गया कि आवेदक द्वारा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता खूँटी के विविध अपील नं0 02/2009–10 में दिनांक 14.08.2010 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विवादित जमीन मौजा पकना थाना नं0 87 खाता नं0– 73 प्लॉट नं0– 64 रकबा नं0– 0.48 एकड़ भूमि	

जो खतियानी रैयत लोहरा सिंह के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत लोहरा सिंह ने मदन लाल जैन को निबंधित दस्तावेज संख्या 03 दिनांक 04.01.1946 के द्वारा पूर्व में भूमि 0.48 एकड़ बिक्री किया । मदन लाल जैन ने भी 1948 में निबंधित विक्रय पत्र संख्या– 547 दिनांक 13.12.1948 के द्वारा श्रीमती यमुना देवी को बिक्री किया। यमुना देवी ने दखल लेकर उस पर मकान, पक्का कुंआ एवं दुकान का निर्माण किया तथा सरकार को मालगुजारी अदा करते रहे हैं। अंचल के पंजी ii में पेज नं0 130 पर यमुना देवी के नाम से जमाबन्दी चल रहा है तथा इनके द्वारा अनेकों मालगुजारी रसीद यमुना देवी के नाम से निर्गत किया गया है। यमुना देवी पत्नी स्व0 मोती लाल जैन से इनके पुत्र महावीर प्रसाद जैन ने Power of Atterney नं0 9 दिनांक 16.10.85 के आधार पर कुल 0.24 एकड़ जमीन निबंधित पट्टा संख्या 875 दिनांक 04.12.85 के द्वारा मुल्य देकर शिव प्रसाद साहु को हस्तांतरित किया गया । तत्पश्चात् शिव प्रसाद साहु ने अपने नाम से नामान्तकरण कराने हेतु अंचल कार्यालय में अवेदन दिया जिसका वाद दाखिल खारिज नं0 51R1527/1899–90 दर्ज किया गया। साथ ही आवेदन नं0 2 हरि शंकर भगत ने भी उक्त विवादित जमीन का कुल रकबा 0.24 एकड़ भूमि यमुना देवी पति–मोती लाल जैन से Power of Atterney Holder से रजिस्ट्री पट्टा संख्या 876/1985 के द्वारा निर्धारित मूल्य भुगतान कर प्राप्त किया तत्पश्चात अंचल कार्यालय मे अपने नाम से दाखिल खारिज कराने हेतु वाद संख्या– 214R/98–89 दायर किया गया। उक्त विवादित जमीन मालिक लोहरा सिंह से रजिस्ट्री पट्टा के द्वारा सन् 1946 को मदन लाल जैन ने प्राप्त किया गया तब विपक्षी के द्वारा कहीं भी किसी भी न्यायालाय में विरोध नहीं किया गया । रजिस्ट्री पट्टा शुद्धता का प्रमाण देता है। एवं अंचल कार्यालय से निर्गत मालगुजारी रसीद को भी झुठलाया नहीं जा सकता । मदन लाल जैन ने अपने हिस्से की जमीन को यमुना देवी से सन् 1948 में बिक्री किया गया। यमुना देवी ने उक्त जमीन पर आवासीय मकान बनाया है । इनके द्वारा मालगुजारी सरकार को दिया गया। विपक्षी द्वारा दाखिल जवाब में किसी वैद्य विन्दु को नही उठाया गया है। विपक्षी पार्टी का दावा है कि उक्त खाता के कुल रकबा– 6.80 एकड़ भूमि लोहरा सिंह के नाम से है। परन्तु विपक्षी का दावा गलत है। लोहरा

सिंह ने अपने हिस्से की जमिन से कुल 0.48 एकड़ भूमि सन् 1945 में हस्तांतरित किया गया । प्लॉट नं0–64 के अन्तर्गत सभी जमीनों का जमाबन्दी लोहरा सिंह के नाम से चल रहा है। परन्तु सन् 1946 में मदन लाल जैन को किया गया बिक्री /हस्तांतरण दर्ज नहीं किया गया है। विपक्षी का दावा सिर्फ M फार्म के आधार पर किया जा रहा है। विपक्षी का कहना है कि बकाश्त जमीन का हस्तांतरण नहीं हो सकता है जो कि विल्कुल गलत है बकाश्त जमीन हस्तांतरणीय है। विपक्षी का कहना है कि सिर्फ खेतीबारी के लिए जमीन दिया गया था। यमुना देवी एवं इनके पति एक बड़े व्यवसायी थे ये लोग यहां पर ग्रोसरी का दुकान खोले थे जो कि एजेन्ट के द्वारा चलाया जाता था एवं नौकरों के द्वारा खेतीबारी का काम लिया जाता था। इनके द्वारा एक पक्का कुंआ का भी निर्माण कराया गया था। जो कि नियम विरूद्ध है। अतः आवेदक द्वारा आवेदन स्वीकृत कर निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

इसके विपरीत विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कहा गया कि आवेदक शिव प्रसाद साहु एवं हरि शंकर भगत द्वारा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता खूँटी के दाखिल खारिज अपील नं0 . 02/09–10 में दिनांक 14.08.10 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। साकिन–पकना, थाना– तोरपा, थाना नं0–83, जिला–रांची, (वर्तमान खूँटी) के खाता नं0– 73 प्लॉट नं0– 64 रकबा–24+24 कुल 48 डीसमील जमीन का पूरा रकबा 6.80 जिसमें 17 प्लॉट है। जो आर0 एस0 खेवट नं0 7/1 के खतियानी रैयत लोहरा सिंह जो टुना सिंह के दादा के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत लोहरा सिंह ने मदन लाल जैन को निबंधित दस्तावेज संख्या 03 दिनांक 04.01.1946 के द्वारा पूर्व भूमि 0.48 एकड़ बिक्री किया । श्रीमती यमुना देवी अपने बड़े पुत्र महावीर जैन को एटोर्नी निबंधन संख्या– iv–9 दिनांक 16.10.1985 द्वारा अधिकृत, महावीर प्रसाद जैन ने निबंधित विक्रय पत्र संख्या 875 दिनांक 04.12.1985 को आवेदक शिव प्रसाद साहु पिता–रामनाथ .साहु को बिक्री किया गया। इसी प्रकार महावीर प्रसाद जैन ने बिक्रय पत्र संख्या–876 दिनांक 04.12. 1985 ई0 को विपक्षी हरिशंकर भगत पिता लच्छु भगत के हाथ शेष 0. 24 एकड़ भूमि बिक्री किया। आवेदक शिव प्रसाद साहु का जमाबन्दी अंचल अधिकारी तोरपा के द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या

51R27 / 89–90 के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है एवं सरकार को लगातार मालगुजारी अदा किया जा रहा है। उक्त विवादित जमीन पर एक दुकान मकान एवं पक्का कुंआ का निर्माण कराया गया है।

अतः विपक्षी द्वारा रिविजन आवेदन को खारिज करने हेतु अनुरोध किया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया बहस सुनने, अभिलेख में संलग्न कागजातों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि उक्त विवादित जमीन लोहरा सिंह के नाम से बकाश्त खाता नं0–73 ग्राम–पकना में दर्ज है जिसमें कुल 17 प्लॉट तथा कुल रकबा–6.80 एकड़ है। जिसमें प्लॉट संख्या–64 का रकबा 0.48 एकड़ मदन लाल जैन पुत्र स्व0 पन्ना लाल जैन को बिक्री किया गया । नं0–1 पेज नं0– 423 से 425 तक उसके कब्जे में दिया गया। मदन लाल जैन आर0 एस0 खाता नं0–73, प्लॉट नं0–64 का हस्तांतरण श्रीमती यमुना देवी पति मोती लाल जैन को पंजीकृत विलेख के आधार पर दिनांक–13.12.48 को किया गया जो उप रजिस्टार खूँटी के कार्यालय में पट्टा संख्या–547 / 1948 में दर्ज है श्रीमती यमुना देवी के द्वारा गठित वकील के माध्यम से उनके बेटे महावीर प्रसाद जैन को अटार्नी संख्या–9 दिनांक–16.10.1985 के अन्तर्गत पंजीकृत कर चुके है तथा कुल–0.48 एकड़ भूमि खरीदा गया जो कि दिनांक–04.12.1985 को बिक्री के पंजीकृत दस्तावेज के जरिए खरिदी गई जो कि 1985 की पट्टा संख्या–875 थी आवेदकगण लगान का भुगतान कर रहे हैं। इसी तरह आवेदक नं0–02 हरिशंकर भगत ने आर0एस0 खाता नं0–73 प्लॉट नं0– 67 के 0.24 एकड़ जमीन ग्राम– पकना, थाना–रनियाँ, थाना संख्या–87 से खरीदी। श्रीमती यमुना देवी पति–स्व0 मोती लाल जैन से गठित अटार्नी महावीर प्रसाद जैन के बिक्री पट्टा नं0–876 / 1985 दिनांक–04.12.1985 के माध्यम से उप रजिस्ट्रार खूँटी में पंजीकृत है तथा लगान का भुगतान भी किया जा रहा है। तत्पश्चात शिव प्रसाद साहु ने उनके द्वारा खरीदे गए जमीन के संबंध में अपने नाम से आवेदन किया। दाखिल खारिज वाद संख्या– 51R27/89-90 के माध्यम से दाखिल खारिज वाद स्वीकृत हुआ। जो दाखिल खारिज वाद संख्या 214R27/88-89 में दर्ज है तथा लगान भुगतान इनके द्वारा किया जा रहा है। परन्तु अंचल अधिकारी तोरपा द्वारा दिनांक–21.01.2008 को विवादित जमीन में

लगान रसीद निर्गत करना स्थगित किया गया है तथा जमुना देवी एवं शिव प्रसाद साहु की उपरोक्त जमाबन्दी समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता खूँटी को इस निदेश के साथ वापस (Remand) किया जाता है कि स्थानीय जाँच एवं कागजातों के आधार पर उभय पक्षों को सुनते हुए पुनः आदेश पारित करना सुनिश्चित किया जाए। पक्षकारों एवं निम्न न्यायालय को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

28/06/17
अपर समाहर्त्ता,
खूँटी

28/06/17
अपर समाहर्त्ता,
खूँटी